

अभिलेख उपस्थापित।

12-22

ख्रीस्ट अर्पित बाजराय पिता स्व० जे०ए० बाजराय, निवास स्थान-हुइहुडु, टोला पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चानो-1, थाना नं०-148, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-33/81, रकवा 0.07 एकड़ (07 डिसमिल) (सात डिसमिल) भूमि मीना लकड़ा पिता अरसु उरौंव, निवास स्थान हुइहुडु, टोला पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSO22034043 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-797/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6095/रा० दिनांक 26.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 3025 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत हैं एवं एक थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत डॉ० मसीचरन पंकज हैं, केवाला हिरामनी बाजराय के नाम से है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.49 एकड़ भूमि हैं। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.49 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-162/1 पर ख्रीस्ट अर्पित बाजराय के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 1.42 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

उपायुक्त

आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

क
टिप्प


2

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में ख्रीस्ट अर्पित बाजराय पिता स्व0 जे0ए0 बाजराय, निवास स्थान-हुइहुडु, टोला पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चानो-1, थाना नं0-148, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-33/81, रकवा 0.07 एकड़ (07 डिसमिल) (सात डिसमिल) भूमि मीना लकड़ा पिता अरसु उरौव, निवास स्थान हुइहुडु, टोला पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता, हजारीबाग।


अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

प्रेषक